न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010070612022

Sessions Case/1601/2022
State of U.P. Vs. Atul tyagi
सत्र परीक्षण संख्या 1601 सन 2022

सरकार बनाम 1. अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी,
निवासी मौ0 तगासराय , हापुड
थाना : हापुड देहात ,जिला हापुड
2. मनोज कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश ,
निवासी मौ0 इन्द्रगढी , हापुड
थाना : हापुड देहात ,जिला हापुड
मु0अ0सं0 329/2022 ,
अन्तर्गत धारा : 354,363,366,376(3) भा0दं0सं0 ,
5J(ii)/6,9/10 पोक्सो एक्ट,
थाना : हापुड देहात ,जिला हापुड।

निर्णय

1– अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी का परीक्षण अर्न्तगत धारा 366, 376(3) भा0दं0सं0, 5J(ii)/6, पोक्सो एक्ट, एवं अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश का परीक्षण अर्न्तगत धारा 363,354 भा0दं0सं0, 9/10 पोक्सो एक्ट, किया गया ।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि '' मै मनोज कुमार पुत्र बुद्ध प्रकाश निवासी इन्द्रगढी थाना हापुड देहात जनपद हापुड का रहने वाला हूं । दिनांक 02.06.2022 को मेरी पुत्री कु0 नन्दनी उम्र 17 वर्ष को अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी घर से बहला फुसलाकर ले गया था, जिस का हमारे घर पर अच्छा आना जाना था। मैने अपनी पुत्री को हर जगह तलाश किया तो कही नहीं मिली, बाद मे पता चला कि अतुल त्यागी ने मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर उससे शादी कर ली है आज मै थाने आया हूं मेरी पुत्री को वापस लाने तथा कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। '' उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी के विरूद्ध अ0 धारा 363 भा0दं0सं0 मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.08 14:04:18 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

3. दौरान विवेचना पीडिता ''एन'' की बरामदगी उपरान्त उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित कराए गए, जिसमें पीडिता द्वारा स्वेच्छया अभियुक्त अतुल त्यागी के साथ जाने व मन्दिर में शादी कर लेने तथा उसके पिता मनोज कुमार द्वारा उसके साथ छेडखानी करने व गन्दी नजर रखने का कथन किया गया । तत्पश्चात सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी के विरूद्ध धारा 366,376(3) भा0दं0सं0, 5J(ii)/6, पोक्सो एक्ट, एवं अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश के विरूद्ध धारा 363,354 भा0दं0सं0, 7/8 पोक्सो एक्ट, के अर्न्तगत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया ।

4. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी के विरूद्ध धारा 366,376(3) भा0दं0सं0, 5J(ii)/6, पोक्सो एक्ट एवं अभियुक्त मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 363,354 भा0दं0सं0, 9/10 पोक्सो एक्ट का आरोप विरचित किया गया । अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की मॉग की। अभियोजन पक्ष को सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया।

5. मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण प्रस्तुत किये गये हैं –

क्र.सं.	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1.	कुसुम देवी	पी.डब्लू–1
2.	पीडिता ''एन''	पी.डब्लू–2
3.	का0 मनीष चौधरी	पी.डब्लू–3
4.	सन्दीप कुमार वर्मा लिपिक रामनिवास विद्यालय	पी.डब्लू–4
5.	डा0 हनीफा बेगम	पी.डब्लू–5
6.	उपनिरीक्षक लक्ष्मीकान्त सिंह	पी.डब्लू–6
7.	उपनिरीक्षक बनी सिंह	पी.डब्लू–7
8.	डा0 राजेन्द्र गुप्ता रेडियोलोजिस्ट	पी.डब्लू–8

6.दस्तावेजी साक्ष्य–अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैंः–

क्र.सं.	दस्तावेज	अंकित प्रदर्श	सबंधित साक्षी जिसके द्वारा प्रपत्र साबित किया गया।
1.	**तहरीर**	प्रदर्श क–1	पी.डब्लू–01
2.	**पीडिता के बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0**	प्रदर्श क–2	पी.डब्लू–02
3.	**चिक एफ.आई.आर**	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू–03
4.	**जी.डी. कार्बन प्रति**	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू–03
5.	**एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति**	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू–04
6.	**प्रमाणपत्र**	प्रदर्श क–6	पी.डब्लू–04
7.	**पीडिता की मैडिकल रिपोर्ट**	प्रदर्श क–7	पी.डब्लू–05
8.	**फर्द बरामदगी**	प्रदर्श क–8	पी.डब्लू–06
9.	**नक्शा नजरी**	प्रदर्श क–9	पी.डब्लू–06
9.	**आरोपपत्र**	प्रदर्श क–10	पी.डब्लू–07
10.	**पीडिता की आयु की बाबत जारी प्रमाणपत्र**	प्रदर्श क–11	पी.डब्लू–8
	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण आख्या		

7– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अ0 धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को अस्वीकार करते हुए, स्वयं को निर्दोष होना व साजिशन झूठा फसाया जाना कहा है तथा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

8. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

9. अभियोजन पक्ष का मुख्य कथन इस प्रकार है कि दिनांक 02.06.2022 को समय अदम तहरीरी मौहल्ला इन्द्रगढी, हापुड बहद थाना हापुड देहात, जिला हापुड में अभियुक्त **अतुल त्यागी** ने अव्यस्क पीडिता ''एन'' को शादी करने के आशय से बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण उसकी विधिक संरक्षकता से करने के बाद उसके साथ बलात्कार/ प्रवेशन लैंगिक हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पीडिता गर्भवती हो

गयी तथा अभियुक्त **मनोज कुमार** ने अव्यस्क पीडिता ''एन'' को बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण करने के बाद उस पर आपराधिक बल का प्रयोग/ लैंगिक हमला किया ।

10. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–1 कुसुम देवी को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि –'' दिनांक 02.06.2022 को मेरी बेटी ''एन'' को घर से अतुल त्यागी बहला फुसलाकर ले गया । अतुल त्यागी मेरे पति मनोज का दोस्त और हमारे घर आता जाता था । फिर मैंने अपने पति के साथ अपनी लडकी ''एन'' को तलाश किया , नहीं मिली । तब मैंने अपने पति मनोज के साथ जाकर थाने पर इस घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। तहरीर मेरे पति ने लिखकर थाने पर दी थी । साक्षी ने पत्रावली पर संलग्न टाईपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1 को देखकर, उस पर अपने पति मनोज के हस्ताक्षर होना साबित किया है । ''

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–'' मैं घरो में झाडू पोंछे का काम करती हूं । मेरी बेटी ''एन'' की जन्मतिथि 08.04.2006 है । मेरी बेटी अतुल त्यागी के साथ दि0 02.06.2022 को गई थी । मेरी बेटी जिस दिन गई थी , उसी दिन से तलाश करना शुरू कर दिया था और जब तक नहीं मिली थी , तब तक तलाश किया था । 25 जनवरी 2023 को मेरा कोई ब्यान नहीं हुआ था । दरोगा जी को वह जगह नहीं बताई थी जहां मैने अपनी लडकी को तलाश किया था । मैने 112 नम्बर पर कोई फोन उस दिन नहीं किया था। जिस दिन लडकी गयी थी , मैंने सीधे थाना देहात में रिपोर्ट लिखाई थी । रिपोर्ट मैंने उसी दिन लिखाई थी , रिपोर्ट देहात थाने में लेडिज पुलिस ने लिखी थी । तहरीर पर हस्ताक्षर कई जनो ने किए थे । दरोगा जी ने मेरा ब्यान कई दिन बाद लिया था ।''

11. अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–2 पीडिता ''एन'' को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि '' अतुल त्यागी के साथ मेरे पापा मनोज की दोस्ती थी । दि0 02.06.2022 को पापा मनोज और अतुल त्यागी मुझे घर से भगाकर ले गए , गढ ले गए। गढ में धर्मशाला में रखा। वहां अतुल त्यागी ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। दो तीन

दिन वहां अतुल त्यागी के साथ रही , फिर अच्छेजा आ गयी । अतुल त्यागी ने वहां जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे , जिससे मैं गर्भवती हो गयी थी। जब पापा को यह बात पता चली कि मैं गर्भवती हूं, तो पापा ने मम्मी को फोन किया । फिर मम्मी और भाई दि0 01.07.2022 को मुझे अच्छेजा से लेकर गए । फिर अतुल त्यागी के नाम की रिपोर्ट करवाई थी । अतुल त्यागी 3–4 दिन तक घर से बाहर थे, फिर उन्हें पकडा । मेरा मैडिकल हुआ था , तारीख याद नहीं । पुलिस ने मेरे बयान लिए । कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान हुए थे । रिपोर्ट मम्मी ने लिखवाई थी । पापा ने मेरे साथ उसी तारीख को छेडछाड की थी, बदतमीजी कर रहे थे, जब वह मुझे लेकर गए थे । मम्मी के घर से जाने के बाद पापा ने बदतमीजी की थी । अतुल त्यागी व पापा भगाकर ले गए थे कि तेरी नौकरी लगवा देंगे । मैं 10वीं पास हूं। मेरी उम्र वर्तमान में 17 वर्ष है । स्कूल में क्या जन्मतिथि लिखी है , याद नहीं है। गवाह ने हाजिर अदालत अभियुक्त अतुल त्यागी को देखकर कहा कि इसी ने मेरे साथ बलात्कार किया था था । साक्षी मामले की पीडिता ने उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराए गए बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 पर अपने हस्ताक्षर व फोटो होना पहचाना तथा कहा कि यह वही ब्यान है , जो मैंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था । ''

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–'' हमारी 15 तारीख को शादी हुई थी । शादी में और कोई नहीं था , बस पापा और अतुल त्यागी थे । मुझे जानकारी थी कि अतुल की शादी हो चुकी है । मुझे ब्रजघाट से अतुल त्यागी अच्छेजा लेकर आए थे । वहां से मम्मी लेकर गयी थी। मैंने मम्मी को फोन नहीं किया था, पापा ने किया था । उस वक्त मैं गर्भवती थी । जब मैं ब्रजघाट से अच्छेजा आई , उसके 3–4 दिन बाद पता चला था कि मैं गर्भवती हूं । मेरा अर्बासन हुआ है । अर्बासन मैंने अपनी मर्जी से करवाया था । सरकारी अस्पताल हापुड में कराया था । कोर्ट की परमिशन ली थी तथा कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था ।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व दौरान विवेचना विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित कराए गए , जिसमें पीडिता द्वारा कथन किया गया है कि–'' दि0 02.06.2022 को मै दोपहर के 02.00 बजे अपने पापा मनोज कुमार के साथ ब्रजघाट गयी थी। वहां अतुल त्यागी भी आ गया ।

अतुल त्यागी हमारी परचून की दुकान पर आता जाता था तभी से मेरी उससे दोस्ती हो गयी । दि0 14.06.2022 को मैने और अतुल ने मन्दिर में शादी कर ली। मेरे पापा मेरे साथ छेड़खानी करते है और मेरे ऊपर गन्दी नजर रखते है। दि0 02.06.2022 को मैं और मेरे पापा तगासराय में एक जानने वाले के यहां रूके थे । वहां भी मेरे पापा ने मेरी छाती पर हाथ लगाया तथा नीचे भी हाथ लगाया। मैने पुलिस की धमकी दी तो उन्होने मेरे पैर पकड़ लिये। अतुल से शादी करने के बाद मै दोबारा पापा के पास आ गई। अतुल पहले से शादी शुदा है तथा उसके एक चार साल की बेटी भी है जिसके बारे में मुझे शादी करने से पहले से पूरी जानकारी थी मुझे उसकी दूसरी पत्नी होने से कोई परेशानी नहीं है। अतुल ने मेरे साथ कोई मारपीट जोर जबरदस्ती नही की । दो महीने करीब से मै अतुल के साथ पति पत्नी की तरह रह रही हूँ और मै अतुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे भाई और मम्मी मुझे बैल्टों से मारते है।''

12. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–3 का0 मनीष चौधरी को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–3 व नकल कायमी मुकदमा जी०डी० प्रदर्श क–4 को साबित किया है।

13. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–4 सन्दीप कुमार वर्मा लिपिक रामनिवास स्मारक बाल विद्यालय तगासराय जिला हापुड को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में बयान किया कि–'' मैं माह मई 2024 से उक्त विद्यालय में लिपिक के पद पर तैनात हूं । छात्रा ''एन'' पुत्री मनोज कुमार निवासी इन्द्रगढी का दाखिला दि0 15.07.2016 को कक्षा 4 में हुआ था। दाखिले के समय छात्र 'एन' की जन्मतिथि 08.06.2006 अंकित की गई थी । आज मैं विद्यालय का मूल एस0आर0 रजिस्टर लेकर आया हूं । एस0आर0 रजिस्टर के क्रमांक 3029 पर छात्रा ''एन'' का नाम दर्ज है । एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–5 दाखिल कर रहा हूं । पत्रावली पर संलग्न प्रमाणपत्र कागज सं0 7क हमारे विद्यालय के तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया है । इस प्रमाणपत्र में छात्रा ''एन'' की जन्मतिथि 08.06.2006 अंकित है । ''

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–'' यह कहना सही है कि जिस वक्त पीडिता ''एन'' का दाखिला हमारे स्कूल में हुआ था , उस समय मैं स्कूल में कार्यरत नहीं था । छात्रा 'एन' का दाखिला कराने कौन कौन आया था , मुझे जानकारी नही है । मेरे द्वारा लाए गए एस0आर0 रजिस्टर में जो प्रविष्टि की गयी है वह प्रविष्टि किस व्यक्ति द्वारा की गयी है, मुझे जानकारी नहीं है । पीडिता ''एन'' के दाखिले व जन्मतिथि के सम्बन्ध में कोई जन्म प्रमाणपत्र , जन्मपत्री या कोई प्रवेश फार्म आदि रिकार्ड विद्यालय में उपलब्ध नहीं है । ''एन'' के दाखिले के समय पूर्व कक्षा की कोई टी0सी0 नहीं ली गई थी । मैं नहीं बता सकता कि छात्रा 'एन' का दाखिला किस आधार पर किया गया था। मैं नहीं बता सकता कि छात्रा 'एन' की जन्मतिथि विद्यालय रिकार्ड में किस आधार पर लिखी गई है ।''

14. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–5 डा0 हनीफा बेगम को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि –''दि0 09.08.2022 को मैं सी0एच0सी0 हापुड में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन पीडिता ''एन'' पुत्री मनोज कुमार, उम्र लगभग 17 वर्ष निवासी इन्द्रगढी हापुड को मैडिकल परीक्षण हेतु महिला का0 अलका पुनीत के साथ आई थी। पीडिता की अन्दरूनी जांच कराने के लिए सहमति दी गयी थी। पीडिता का पहचान चिन्ह एक तिल का निशान बाये हाथ में उंगली से 1.5 से0मी0 नीचे था । पीडिता से एम0सी0 के बारे में पूछा तो उसने दि0 18.07.2022 एल0एम0पी0 बताया था । घटना की तिथि दि0 14.06.2022 से 01.08.2022 तक की बताई थी । घटना स्थल ब्रजघाट हापुड बताया था । पीडिता के वाहय शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था । अन्दरूनी जांच में भी कोई चोट का निशान नहीं था , लेकिन हाईमन एबसेंन्ट था । घटना के बाद पीडिता नहा ली थी तथा कपडे बदल लिए थे । आखिरी घटना से व मैडिकल परीक्षण के बीच का समय 3 दिन व्यतीत था । पीडिता की उम्र की जांच हेतु एक्सरे कराया गया था । पीडिता के एफ0एस0एल0 परीक्षण हेतु ओरल स्वैब,वलवल स्वैब , एक वैजाइनल स्वैब, दो वैजाइनल स्लाईड, एनल स्वैब लिया गया । पत्रावली पर संलग्न एम0एल0पी0सी0 न0 2473 मेरे द्वारा तैयार की गई है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क– 7 डाला गया । ''

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–'' पीडिता के शरीर पर वाहय परीक्षण में कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। पीडिता के अन्दरूनी जांच में हाईमन एबसेंन्ट था, चोट का कोई निशान नहीं था। पीडिता के मैडिकल के हिसाब से रेप की पुष्टि नहीं होती है । पीडिता ने शादी होना बताया था ।''

15. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–6 उपनिरीक्षक लक्ष्मीकान्त सिंह को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में प्रकरण की प्रारम्भिक विवेचना करना कहा है तथा दौरान विवेचना पीडिता को बरामद कर फर्द बरामदगी तैयार करना, वादी की निशानदेही पर निरीक्षण उपरान्त घटना स्थल का नक्शानजरी तैयार करना , वादी के बयान दर्ज करना, पीडिता का मैडिकल कराकर मैडिकल रिपोर्ट प्राप्त करना,उसके धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत बयान समक्ष न्यायालय दर्ज कराना , अभियुक्त/वादी मनोज कुमार को गिरफतार करना कहा है , फर्द बरामदगी प्रदर्श क–8, घटना स्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श क–9 को साबित किया है ।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–'' प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे सामने सामने पंजीकृत नहीं हुई थी, मुझे केवल विवेचना हेतु प्रपत्र प्राप्त हुए थे।मैंने पीड़िता के कपड़े प्राप्त नहीं किये थे, इसलिए पीड़िता के कपड़े आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। यह कहना सही है कि धारा 161 द0प्र0सं0 के बयानों में पीड़िता ने अपनी उम्र 17 वर्ष बतायी है। यह बात सही है कि पीड़िता के मेडिकल में डा0 रेनू गुप्ता ने पीड़िता की उम्र 18 वर्ष लिखी है। यह कहना सही है कि तहरीर पर तहरीर लिखने वाले का नाम पता अंकित नहीं है।''

16. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–7 उपनिरीक्षक बनी सिंह को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में प्रकरण की पश्चातवर्ती विवेचना करना कहा है तथा दौरान विवेचना अभियुक्त अतुल त्यागी को गिरफतार करना, पीडिता के गर्भ समाधान की कार्यवाही करना, आरोपपत्र प्रस्तुत करना कहा है ,आरोपपत्र प्रदर्श क–10 को साबित किया है ।

17. अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–8 डा0 राजेन्द्र गुप्ता रेडियोलोजिस्ट को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने साक्ष्य में पीडिता की आयु की बाबत जारी आयु प्रमाणपत्र प्रदर्श क–11, को साबित किया है ।

18. अभियोजन कथानक के समर्थन में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त **अतुल त्यागी** ने अव्यस्क पीडिता ''एन'' को शादी करने के आशय से बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण उसकी विधिक संरक्षकता से करने के बाद उसके साथ बलात्कार/ प्रवेशन लैंगिक हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप पीडिता गर्भवती हो गयी तथा अभियुक्त **मनोज कुमा**र ने अव्यस्क पीडिता ''एन'' को बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण करने के बाद उस पर आपराधिक बल का प्रयोग/लैंगिक हमला किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में प्रस्तुत साक्षी गण पी.डब्लू–1 कुसुम देवी, पी.डब्लू–2 पीडिता ''एन'', पी.डब्लू–3 का0 मनीष चौधरी, पी.डब्लू–4 सन्दीप कुमार वर्मा लिपिक, पी.डब्लू–5 डा0 हनीफा बेगम, पी.डब्लू–6 उपनिरीक्षक लक्ष्मीकान्त सिंह, पी.डब्लू–7 उपनिरीक्षक बनी सिंह, पी.डब्लू–8 डा0 राजेन्द्र गुप्ता रेडियोलोजिस्ट द्वारा अभियोजन कथानक का सम्यक् रूप से समर्थन किया है, इस प्रकार अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित है, अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये ।

19. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किये गये है कि अभियेाजन पक्ष की तरफ से पीडिता की उम्र को सही प्रकार से साबित नहीं किया गया है तथा पीडिता की उम्र शैक्षिक अभिलेखों में जानबूझकर कम करके लिखाई गई थी। पीडिता की आयु सम्बन्धित एक्सरे रिपोर्ट /चिकित्सकीय परीक्षण आख्या के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र में पीडिता की आयु 18 वर्ष दर्शित की गयी है । जिससे स्पष्ट दर्शित है कि पीडिता कथित घटना के समय पर व्यस्क थी , ऐसी दशा में पोक्सो एक्ट के प्राविधान लागू ही नहीं होते है। अभियोजन की ओर से अपने केस को सिद्ध करने हेतु परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू–1 कुसुम देवी, पी.डब्लू–2 पीडिता ''एन''के बयानों एवं अभियेाजन कथानक में गंभीर विरोधाभास है । मामले की पीडिता,जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी है, उसके विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए बयान अर्न्तगत धारा 164द0प्र0सं0 में बलात्कार किए जाने का कोई

कथन नहीं किया गया है एवं दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा के सशपथ बयानो में गंभीर विरोधाभासी कथन है,जिससे उक्त साक्षीगण की विश्वसनीयता ही संदिग्ध हो जाती है। अभियेाजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते है। पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली चिकित्सक डा0 हनीफा बेगम ने बतौर पी0डब्लू–5 अपने बयान में पीडिता के साथ कथित बलात्कार की घटना का समर्थन नहीं किया है , जिससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है , अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये ।

निष्कर्ष

20. सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

संक्षेप में घटना इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि '' मै मनोज कुमार पुत्र बुद्ध प्रकाश निवासी इन्द्रगढी थाना हापुड देहात जनपद हापुड का रहने वाला हूं । दिनांक 02.06.2022 को मेरी पुत्री कु0 नन्दनी उम्र 17 वर्ष को अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी घर से बहला फुसलाकर ले गया था, जिस का हमारे घर पर अच्छा आना जाना था । मैने अपनी पुत्री को हर जगह तलाश किया तो कही नहीं मिली, बाद मे पता चला कि अतुल त्यागी ने मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर उससे शादी कर ली है आज मै थाने आया हूं मेरी पुत्री को वापस लाने तथा कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। '' उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी के विरूद्ध अ0 धारा 363 भा0दं0सं0 मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

21. दौरान विवेचना पीडिता ''एन'' की बरामदगी उपरान्त उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित कराए गए , जिसमें पीडिता द्वारा स्वेच्छया अभियुक्त अतुल त्यागी के साथ जाने व मन्दिर में शादी कर लेने तथा उसके पिता मनोज कुमार द्वारा उसके साथ छेडखानी करने व गन्दी नजर रखने का कथन किया गया । तत्पश्चात सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी के विरूद्ध धारा 366, 376(3) भा0दं0सं0 ,5J(ii)/6, पोक्सो एक्ट, एवं अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश के विरूद्ध धारा 363,354 भा0दं0सं0 , 7/8 पोक्सो एक्ट,

के अन्र्तगत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया ।

22. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी के विरूद्ध धारा 366, 376(3) भा0दं0सं0 ,5J(ii)/6, पोक्सो एक्ट एवं अभियुक्त मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 363,354 भा0दं0सं0 , 9/10 पोक्सो एक्ट का आरोप विरचित किया गया । अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की मॉग की। अभियोजन पक्ष को सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया।

23. उपरोक्त वाद को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा साक्षीगण के रूप में पी.डब्लू–1 कुसुम देवी, पी.डब्लू–2 पीडिता ''एन'', पी.डब्लू–3 का0 मनीष चौधरी , पी. डब्लू–4 सन्दीप कुमार वर्मा लिपिक, पी.डब्लू–5 डा0 हनीफा बेगम, पी.डब्लू–6 उपनिरीक्षक लक्ष्मीकान्त सिंह, पी.डब्लू–7 उपनिरीक्षक बनी सिंह, पी.डब्लू–8 डा0 राजेन्द्र गुप्ता रेडियोलोजिस्ट को परीक्षित कराया गया है।

24. यहा इस प्रकरण में अभियुक्त पर यह आरोप है कि अभियुक्त **अतुल त्यागी** ने अव्यस्क पीडिता ''एन'' को शादी करने के आशय से बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण उसकी विधिक संरक्षकता से करने के बाद उसके साथ बलात्कार/ प्रवेशन लैंगिक हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप पीडिता गर्भवती हो गयी तथा अभियुक्त **मनोज कुमा**र ने अव्यस्क पीडिता ''एन'' को बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण करने के बाद उस पर आपराधिक बल का प्रयोग/लैंगिक हमला किया। अभियेाजन को सुसंगत प्राविधानो के अन्र्तगत उक्त आरोपो को साबित करना है ।

25. पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध से संबंधित मामलों में पीड़िता की आयु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सर्वप्रथम उक्त बिंदु पीड़िता की उम्र के संबंध में विवेचना की जा रही है।

26. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **AIR 2013 SUPREME COURT PAGE 3467 JARNAIL SINGH VS STATE OF HARYANA** के प्रकरण में बलात्संग व व्यपहरण के अपराध से संबंधित पीड़िता की आयु के निर्धारण के लिए यह विधि व्यवस्था दी कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 व

उससे संबंधित नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियमावली 2007 में जो प्रक्रिया किशोर की आयु के निर्धारण के लिए दी गयी है, उसी प्रक्रिया के आधार पर बलात्संग व व्यपहरण से संबंधित पीड़िता की आयु का भी निर्धारण किया जाना चाहिए।

27. उपरोक्त विधि व्यवस्था के उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **(2013) 14 सुप्रीम कोर्ट केस पेज 637 महादेव बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य तथा (2015) 7 सुप्रीम कोर्ट केस पेज 773 मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह** के प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने बलात्संग व व्यपहरण की पीड़िता की आयु का निर्धारण नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियमावली 2007 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर ही किये जाने की विधि व्यवस्था दी है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच के द्वारा **2016 (1) ए०एल० जे० पेज 54 अली मौहम्मद बनाम उ०प्र० राज्य** में भी यही विधि व्यवस्था प्रतिपादित की कि आयु निर्धारण के बिंदु पर नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियमावली 2007 के अनुसार ही निष्कर्ष दिया जाना चाहिए।

28. उल्लेखनीय है वर्तमान समय में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू हो चुका है और उसमें पीडित की आयु के निर्धारण हेतु धारा 94 में प्राविधान वर्णित किए गए है । प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 02.06.2022 की है और उपरोक्त धारा 94 के प्रावधान जनवरी, 2016 सें प्रादुर्भाव में आ चुके हैं। अतः उम्र के निर्धारण हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 प्रासंगिक है।

29. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 के अनुसार–

<u>94. Presumption and determination of age</u>–(2) In case, the Committee or the Board has reasonable grounds for doubt regarding whether the person brought before it is a child or not, the Committee or the Board, as the case may be, shall undertake the process of age determination, by seeking evidence by obtaining—

(i) the date of birth certificate from the school, or the matriculation or

equivalent certificate from the concerned examination Board, if available; and in the absence thereof;
(ii) the birth certificate given by a corporation or a municipal authority or a panchayat;
(iii) and only in the absence of (i) and (ii) above, age shall be determined by an ossification test or any other latest medical age determination test conducted on the orders of the Committee or the Board:

30, प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के बचाव में सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियेाजन पक्ष द्वारा पीडिता की आयु के सम्बन्ध में जो प्राथमिक विद्यालय के शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, वह पीडिता की जन्मतिथि के सम्बन्ध में विश्वसनीय माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त विद्यालय में पीडिता की उम्र शैक्षिक अभिलेखों में जानबूझकर कम करके लिखाई गई थी। उक्त जन्मतिथि के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर स्कूल अभिलेखो में पीडिता की जन्मतिथि अंकित की गयी हो । अभियेाजन पक्ष की तरफ से पीडिता की उम्र को सही प्रकार से साबित नहीं किया गया है तथा पीडिता की आयु सम्बन्धित एक्सरे रिपोर्ट/चिकित्सकीय परीक्षण आख्या के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र में पीडिता की आयु 18 वर्ष दर्शित की गयी है । जिससे स्पष्ट दर्शित है कि पीडिता कथित घटना के समय पर व्यस्क थी , ऐसी दशा में पोक्सो एक्ट के प्राविधान लागू ही नहीं होते है।

न्यायालय को बचाव पक्ष के उक्त तर्क में बल प्रतीत होता है क्योंकि धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अर्न्तगत जो पीडिता की जन्मतिथि स्कूल में दाखिले के समय लिखायी गयी थी, उस समय कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर स्कूल अभिलेखो में पीडिता की जन्मतिथि अंकित की गयी हो । उक्त सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पीडिता की आयु निर्धारण के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी. डब्लू–4 सन्दीप कुमार वर्मा लिपिक रामनिवास स्मारक बाल विद्यालय तगासराय जिला हापुड को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने सशपथ साक्ष्य में बयान किया कि–'' मैं माह मई 2024 से उक्त विद्यालय में लिपिक के पद पर तैनात हूं । छात्रा ''एन'' पुत्री मनोज कुमार निवासी इन्द्रगढी का दाखिला दि0 15.07.2016 को कक्षा 4 में हुआ

था। दाखिले के समय छात्र 'एन' की जन्मतिथि 08.06.2006 अंकित की गई थी । आज मैं विद्यालय का मूल एस0आर0 रजिस्टर लेकर आया हूं । एस0आर0 रजिस्टर के क्रमांक 3029 पर छात्रा ''एन'' का नाम दर्ज है । एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–5 दाखिल कर रहा हूं । पत्रावली पर संलग्न प्रमाणपत्र कागज सं0 7क हमारे विद्यालय के तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया है । इस प्रमाणपत्र में छात्रा ''एन'' की जन्मतिथि 08.06.2006 अंकित है ।'' बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–**" यह कहना सही है कि जिस वक्त पीडिता ''एन'' का दाखिला हमारे स्कूल में हुआ था , उस समय मैं स्कूल में कार्यरत नहीं था । छात्रा 'एन' का दाखिला कराने कौन कौन आया था , मुझे जानकारी नही है । मेरे द्वारा लाए गए एस0आर0 रजिस्टर में जो प्रविष्टि की गयी है वह प्रविष्टि किस व्यक्ति द्वारा की गयी है, मुझे जानकारी नहीं है । पीडिता ''एन'' के दाखिले व जन्मतिथि के सम्बन्ध में कोई जन्म प्रमाणपत्र , जन्मपत्री या कोई प्रवेश फार्म आदि रिकार्ड विद्यालय में उपलब्ध नहीं है । ''एन'' के दाखिले के समय पूर्व कक्षा की कोई टी0सी0 नहीं ली गई थी । मैं नहीं बता सकता कि छात्रा 'एन' का दाखिला किस आधार पर किया गया था । मैं नहीं बता सकता कि छात्रा 'एन' की जन्मतिथि विद्यालय रिकार्ड में किस आधार पर लिखी गई है ।"** ऐसी दशा में धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अर्न्तगत पीडिता की जन्मतिथि जो स्कूल दाखिले के समय दर्ज की गयी है, उसके परिपेक्ष्य में ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी विद्यालय का प्रधानाचार्य न होकर विद्यालय में कार्यरत लिपिक है , जो उक्त प्रपत्रो को साबित करने हेतु सक्षम साक्षी नहीं माना जा सकता । जिसके द्वारा उक्त प्रपत्रों को सम्यक् रूप से साबित नहीं किया जा सकता । **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **बिरदमल सिंघवी बनाम आनन्द पुरोहित 1988 एस0सी0 1796** में यह अवधारित किया गया है कि **" प्रवेश रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अर्न्तगत सुसंगत साक्ष्य है । परन्तु इसका साक्ष्यिक मूल्य तब होता है जबकि यह साबित हो जाये कि प्रवेश रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गयी है । "**

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से औपचारिक साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–8 डा0 राजेन्द्र गुप्ता रेडियोलोजिस्ट को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने साक्ष्य में पीडिता की आयु की बाबत जारी आयु प्रमाणपत्र प्रदर्श क–11, को साबित किया है , जिसमें पीडिता की आयु 18 वर्ष अंकित

की गयी है। पीडिता ''एन'' के प्राथमिक स्कूल में दाखिले के समय उसकी उम्र से सम्बन्धित जन्म प्रमाणपत्र या अन्य कोई सुसंगत प्रपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत न किए जाने के कारण पीडिता की उक्त जन्मतिथि संदिग्ध हो जाती है , जिस कारण उस पर विश्वास किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है । उक्त जन्मतिथि संदिग्ध हो जाने से यह माने जाने का पर्याप्त आधार है पीडिता कथित घटना के समय पूर्णतया बालिग थी तथा उसकी जन्मतिथि स्कूल के अभिलेखो में वास्तविक न लिखाकर, कम करके अन्दाजे से लिखाई गयी थी । ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रकरण मे पोक्सो एक्ट के प्राविधान आकर्षित नहीं होंगे ।

31. आपराधिक न्याय विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि किसी भी आपराधिक मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने के लिए अभियोजन पक्ष को अभियोजन कथानक को ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से सभी संदेह से परे साबित किया जाना होता है । यदि अभियोजन पक्ष, अभियोजन कथानक को सभी संदेह से परे साबित नहीं कर पाता है , तो ऐसे मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

32. सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–1 कुसुम देवी को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि –'' दिनांक 02.06. 2022 को मेरी बेटी ''एन'' को घर से अतुल त्यागी बहला फुसलाकर ले गया । अतुल त्यागी मेरे पति मनोज का दोस्त और हमारे घर आता जाता था । फिर मैंने अपने पति के साथ अपनी लडकी ''एन'' को तलाश किया , नहीं मिली । तब मैंने अपने पति मनोज के साथ जाकर थाने पर इस घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। तहरीर मेरे पति ने लिखकर थाने पर दी थी । साक्षी ने पत्रावली पर संलग्न टाईपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1 को देखकर, उस पर अपने पति मनोज के हस्ताक्षर होना साबित किया है । ''

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–'' मैं घरो में झाडू पोंछे का काम करती हूं । मेरी बेटी ''एन'' की जन्मतिथि 08.04.2006 है । मेरी बेटी अतुल त्यागी के साथ दि0 02.06.2022 को गई थी । मेरी बेटी जिस दिन गई थी , उसी दिन से तलाश करना शुरू कर दिया था

और जब तक नहीं मिली थी , तब तक तलाश किया था । 25 जनवरी 2023 को मेरा कोई ब्यान नहीं हुआ था । दरोगा जी को वह जगह नहीं बताई थी जहां मैने अपनी लडकी को तलाश किया था । मैने 112 नम्बर पर कोई फोन उस दिन नहीं किया था। जिस दिन लडकी गयी थी , मैंने सीधे थाना देहात में रिपोर्ट लिखाई थी । रिपोर्ट मैंने उसी दिन लिखाई थी , रिपोर्ट देहात थाने में लेडिज पुलिस ने लिखी थी । तहरीर पर हस्ताक्षर कई जनो ने किए थे । दरोगा जी ने मेरा ब्यान कई दिन बाद लिया था ।''

33. अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षियों की श्रेणी में पी.डब्लू–2 पीडिता ''एन'' को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि '' अतुल त्यागी के साथ मेरे पापा मनोज की दोस्ती थी । दि0 02.06.2022 को पापा मनोज और अतुल त्यागी मुझे घर से भगाकर ले गए , गढ ले गए। गढ में धर्मशाला में रखा। वहां अतुल त्यागी ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। दो तीन दिन वहां अतुल त्यागी के साथ रही , फिर अच्छेजा आ गयी । अतुल त्यागी ने वहां जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे , जिससे मैं गर्भवती हो गयी थी। जब पापा को यह बात पता चली कि मैं गर्भवती हूं, तो पापा ने मम्मी को फोन किया । फिर मम्मी और भाई दि0 01.07.2022 को मुझे अच्छेजा से लेकर गए । फिर अतुल त्यागी के नाम की रिपोर्ट करवाई थी । अतुल त्यागी 3–4 दिन तक घर से बाहर थे, फिर उन्हें पकडा । मेरा मैडिकल हुआ था , तारीख याद नहीं । पुलिस ने मेरे बयान लिए । कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान हुए थे । रिपोर्ट मम्मी ने लिखवाई थी । पापा ने मेरे साथ उसी तारीख को छेडछाड की थी, बदतमीजी कर रहे थे, जब वह मुझे लेकर गए थे । मम्मी के घर से जाने के बाद पापा ने बदतमीजी की थी । अतुल त्यागी व पापा भगाकर ले गए थे कि तेरी नौकरी लगवा देंगे । मैं 10वीं पास हूं। मेरी उम्र वर्तमान में 17 वर्ष है । स्कूल में क्या जन्मतिथि लिखी है , याद नहीं है। गवाह ने हाजिर अदालत अभियुक्त अतुल त्यागी को देखकर कहा कि इसी ने मेरे साथ बलात्कार किया था था । साक्षी मामले की पीडिता ने उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराए गए बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2 पर अपने हस्ताक्षर व फोटो होना पहचाना तथा कहा कि यह वही ब्यान है, जो मैंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था।''

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–" **हमारी 15 तारीख को शादी हुई थी । शादी में और कोई नहीं था , बस पापा और अतुल त्यागी थे । मुझे जानकारी थी कि अतुल की शादी हो चुकी है । मुझे ब्रजघाट से अतुल त्यागी अच्छेजा लेकर आए थे । वहां से मम्मी लेकर गयी थी। मैंने मम्मी को फोन नहीं किया था, पापा ने किया था । उस वक्त मैं गर्भवती थी । जब मैं ब्रजघाट से अच्छेजा आई , उसके 3–4 दिन बाद पता चला था कि मैं गर्भवती हूं । मेरा अर्बासन हुआ है । अर्बासन मैंने अपनी मर्जी से करवाया था । सरकारी अस्पताल हापुड में कराया था । कोर्ट की परमिशन ली थी तथा कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था ।"**

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व दौरान विवेचना विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीडिता के बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 अंकित कराए गए , जिसमें पीडिता द्वारा कथन किया गया है कि–" **दि0 02.06.2022 को मै दोपहर के 02.00 बजे अपने पापा मनोज कुमार के साथ ब्रजघाट गयी थी। वहां अतुल त्यागी भी आ गया । अतुल त्यागी हमारी परचून की दुकान पर आता जाता था तभी से मेरी उससे दोस्ती हो गयी । दि0 14.06. 2022 को मैने और अतुल ने मन्दिर में शादी कर ली। मेरे पापा मेरे साथ छेड़खानी करते है और मेरे ऊपर गन्दी नजर रखते है। दि0 02.06.2022 को मैं और मेरे पापा तगासराय में एक जानने वाले के यहां रूके थे । वहां भी मेरे पापा ने मेरी छाती पर हाथ लगाया तथा नीचे भी हाथ लगाया। मैने पुलिस की धमकी दी तो उन्होने मेरे पैर पकड़ लिये। अतुल से शादी करने के बाद मै दोबारा पापा के पास आ गई। अतुल पहले से शादी शुदा है तथा उसके एक चार साल की बेटी भी है जिसके बारे में मुझे शादी करने से पहले से पूरी जानकारी थी मुझे उसकी दूसरी पत्नी होने से कोई परेशानी नहीं है। अतुल ने मेरे साथ कोई मारपीट जोर जबरदस्ती नही की । दो महीने करीब से मै अतुल के साथ पति पत्नी की तरह रह रही हूँ और मै अतुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे भाई और मम्मी मुझे बैल्टों से मारते है।"** अर्थात पीडिता द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 में कही भी अभियुक्त द्वारा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किए जाने का कोई कथन नहीं किया, अपितु यह कहा है कि अतुल ने मेरे साथ कोई मारपीट जोर जबरदस्ती नही की । दो महीने करीब से मै अतुल के साथ पति पत्नी की तरह रह रही हूँ और मै अतुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे भाई और मम्मी मुझे बैल्टों से मारते है। पी.डब्लू–1 कुसुम देवी व पीडिता के मध्य का यह आपसी विरोधाभास अभियोजन कथानक को संदिग्ध कर देता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष पाने का अधिकारी है ।

34. पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली चिकित्सक डा0 हनीफा बेगम ने बतौर पी0डब्लू–5 अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि –**"पीडिता के शरीर पर वाहय परीक्षण में कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। पीडिता के अन्दरूनी जांच में हाईमन एबसेंन्ट था, चोट का कोई निशान नहीं था। पीडिता के मैडिकल के हिसाब से रेप की पुष्टि नहीं होती है । पीडिता ने शादी होना बताया था ।"** अर्थात उक्त चिकित्सक साक्षी के अनुसार भी चिकित्सकीय परीक्षण के समय पीडिता के शरीर पर कोई वाहय या अन्दरूनी चोट नहीं थी । उक्त चिकित्सक साक्षी को भी पीडिता ने अतुल त्यागी से शादी होना बताया था । ऐसी दशा में उक्त चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य से भी जबरदस्ती बलात्कार किया जाना साबित नहीं होता है, जिससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है । जिसका लाभ भी अभियुक्तगण पाने का अधिकारी है ।

35. उल्लेखनीय है कि पीडिता द्वारा स्वयं अपने बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 में अपनी आयु 17 वर्ष होना कहा है , जबकि पीडिता के शैक्षिक प्रपत्रो में उसकी जन्मतिथि 08.06.2006 अंकित होना बतायी गयी है तथा बचाव पक्ष द्वारा दाखिल पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र दि0 04.05.2022 की प्रमाणित प्रति में अभियुक्त नीरज की आयु 29 वर्ष व पीडिता ''ए'' की जन्मतिथि 01.01.2004 व आयु 18 वर्ष अंकित है । जिससे अभियुक्त व पीडिता का विवाह होना दर्शित है । पीडिता ''एन'' के स्कूल में दाखिले के समय उसकी उम्र से सम्बन्धित जन्म प्रमाणपत्र या अन्य कोई सुसंगत प्रपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत न किए जाने के कारण पीडिता की उक्त जन्मतिथि संदिग्ध हो जाती है , जिस कारण उस पर विश्वास किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है । पी.डब्लू–8 डा0 राजेन्द्र गुप्ता रेडियोलोजिस्ट ने अपने साक्ष्य में पीडिता की आयु की बाबत जारी आयु प्रमाणपत्र प्रदर्श क–11, को साबित किया है , जिसमें पीडिता की आयु 18 वर्ष अंकित की गयी है। उक्त जन्मतिथि संदिग्ध हो जाने से एवं चिकित्सकीय परीक्षण उपरान्त जारी आयु प्रमाणपत्र में पीडिता की आयु 18 वर्ष अंकित होने के आधार पर यह माने जाने का पर्याप्त आधार है पीडिता कथित घटना के समय पूर्णतया बालिग थी तथा उसकी जन्मतिथि स्कूल के अभिलेखो में वास्तविक न लिखाकर, वादी द्वारा कम करके अन्दाजे से लिखाई गयी थी । ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रकरण मे पोक्सो एक्ट के प्राविधान आकर्षित नहीं होंगे तथा धारा

5J(ii)/6,9/10 पोक्सो एक्ट का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। पीडिता स्वेच्छया अभियुक्त के साथ गयी थी , ऐसी दशा में अभियुक्त मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 363,354 भा0दं0सं0 , एवं अभियुक्त अतुल त्यागी के विरूद्ध धारा 366 भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है । यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं पीडिता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान अर्न्तगत धारा 164 द0प्र0सं0 के अनुसार ''**दि0 14.06.2022 को मैने और अतुल ने मन्दिर में शादी कर ली। "** जिसके उपरान्त पीडिता, अभियुक्त अतुल त्यागी की पत्नी हो गयी। **धारा 375 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत बलात्संग को परिभाषित किया गया है , जिसके अपवाद 2 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि –" पुरूष का अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन या यौन किया बलात्संग नहीं है , जब पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है । "** ऐसी दशा में यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त अतुल त्यागी व पीडिता के मध्य शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुए , तो भी उक्त कृत्य अपवाद 2 के अनुक्रम में बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता । एवं अभियुक्त अतुल त्यागी के विरूद्ध धारा 376(3) भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है ।

36. उपरोक्त समस्त साक्ष्य, विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियेाजन पक्ष प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है । इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी के विरूद्ध धारा 366, 376(3) भा0दं0सं0 ,5J(ii)/6, पोक्सो एक्ट एवं अभियुक्त मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 363,354 भा0दं0सं0 , 9/10 पोक्सो एक्ट का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष मामले को युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

37– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियुक्त अतुल त्यागी धारा 366, 376(3) भा0दं0सं0, 5J(ii)/6, पोक्सो एक्ट एवं अभियुक्त मनोज कुमार धारा 363,354 भा0दं0सं0 , 9/10 पोक्सो एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अतुल त्यागी पुत्र परम त्यागी को सत्र परीक्षण सं0 1601/2022, मु0अ0सं0 329/2022 में धारा 366,376(3) भा0दं0सं0, 5J(ii)/6 पोक्सो

एक्ट, थाना हापुड देहात , जिला हापुड में दोषमुक्त किया जाता है ।

अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश को सत्र परीक्षण सं0 1601/2022, मु0अ0सं0 329/2022 में धारा 363,354 भा0दं0सं0 , 9/10 पोक्सो एक्ट, थाना हापुड देहात , जिला हापुड में दोषमुक्त किया जाता है ।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते है। प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437(ए) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकन 50,000/– रूपये की एक जमानत व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करें।

दिनॉकः 06.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड़।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनॉकः 06.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड़।